बिहार सरकार
अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग

मार्गदर्शिका

संकल्प संख्या–4687 दिनांक–13.09.2023 की कंडिका–2(ix) के अनुपालन में आवासीय विद्यालयों के छात्र–छात्राओं को आवासन की अवधि में भोजन (जलपान सहित) की व्यवस्था की सेवा का कार्य बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन के माध्यम से किये जाने के लिए भौतिक, पंजी संधारण, लेखा संधारण एवं अनुश्रवण हेतु प्रक्रिया

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों के आवासियों को बेहतर भोजन (जलपान सहित) की व्यवस्था की सेवा कार्य हेतु संकल्प संख्या–4687 दिनांक–13.09.2023 निर्गत की गई है। मेस संचालन की व्यवस्था को बेहतर एवं सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के साथ विभाग द्वारा समझौता ज्ञापन (MoU) किया जायेगा।

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन के माध्यम से मेस संचालन के कार्य हेतु संकल्प और समझौता ज्ञापन (MoU) में अंकित बिन्दुओं के कार्यान्वयन के लिये एवं उसके अतिरिक्त निम्नांकित प्रक्रिया निर्धारित किए जाते हैः–

2.1. **मेस संचालन की व्यवस्थाः–**

(i) संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी आवासीय विद्यालय के परिसर में मेस संचालन हेतु रसोई घर, आवश्यक बर्त्तन, विद्युत आपूर्त्ति, जलापूर्त्ति एवं भंडारगृह की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। साथ ही आवासीय विद्यालयों में मेस संचालन के लिए पूर्व से संधारित बर्त्तनों, गैस चूल्हा, फ्रिज एवं अन्य सामग्रियों की सूची तैयार कर **''दीदी की रसोई''** को हस्तगत कराया जायेगा।

(ii) मेनू के अनुसार मेस संचालन की जवाबदेही **''दीदी की रसोई''** की होगी।

(iii) प्रथम एक माह के लिए अग्रिम का भुगतान बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) को सभी जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(iv) विद्यालय प्रधानाध्यापक के द्वारा मेस संचालन पंजी का संधारण किया जाएगा, जिसमें दैनिक छात्रोपस्थिति, मेनू के अनुरुप भोजन तथा जलपान की आपूर्ति, दैनिक मेनू में वर्णित सभी भोजन तथा जलपान वितरण का समय की अनिवार्य प्रविष्टि की जाएगी। छात्रावास प्रबंधक प्रत्येक निरीक्षण में पंजी की प्रविष्टियों का अनिवार्य रुप से सत्यापन करेंगे। जिला कल्याण पदाधिकारी या उनसे वरीय पदाधिकारियों के निरीक्षणों में भी उक्त पंजी का सत्यापन किया जाएगा एवं संगत अभ्युक्ति अंकित की जाएगी।

(विहित प्रपत्र **अनुलग्नक–1** के रूप में संलग्न)

2.2. विपत्रों की निकासी एवं लेखा संधारण

(i) मेस संचालन के लिए नामित सामुदायिक संगठन(दीदी की रसोई) से विहित प्रपत्र में जिला परियोजना प्रबंधक (जीविका) विपत्र प्राप्त कर प्रत्येक माह के अंतिम दिन जिला कल्याण कार्यालय में समर्पित करेंगे।

(विहित प्रपत्र **अनुलग्नक–2** के रूप में संलग्न)

(ii) जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा जीविका द्वारा समर्पित विपत्र का सत्यापन प्रधानाध्यापक एवं आवासीय विद्यालय प्रबंधक से कराया जाएगा। विद्यालय में संधारित मेस पंजी से छात्र–संख्या, मेनू के अनुपालन, भोजन तथा जलपान वितरण का समय से संबंधित, संधारित की गई प्रविष्टियों से विपत्र की जांच की जाएगी एवं विहित सत्यापन–प्रपत्र में तदनुसार प्रविष्टि सुनिश्चित की जाएगी।

(विहित प्रपत्र अनुलग्नक–3)

(iii) जिला कल्याण पदाधिकारी सत्यापन प्रपत्र में अंकित प्रविष्टियों के आधार पर आवश्यकतानुसार स्वयं भी संतुष्ट होकर विपत्र को पारित करेंगे। सत्यापन प्रपत्र में छात्र–संख्या, निर्धारित मेनू और भोजन तथा जलपान का समय, से संबंधित किसी भी अंकित विचलन के लिए प्राप्त विपत्र की कुल राशि से कटौती कर ही भुगतान किया जाएगा।

(iv) अगर अपरिहार्य कारणवश जीविका द्वारा प्राधिकृत सामुदायिक संगठन द्वारा भोजन तथा जलपान आपूर्त्ति करने में कठिनाई हो तो इसकी पूर्व सूचना आवासीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं जिला कल्याण पदाधिकारी को समय रहते दी जाएगी। मेनू में अंकित दो जलपान तथा दिन के भोजन एवं रात्रि के भोजन में से किसी भी समय/पाली के भोजनादि की आपूर्त्ति नहीं किए जाने पर उक्त तिथि के विपत्र की राशि से प्रत्येक पाली के अनापूरित भोजन के लिए 25% की कटौती की जाएगी एवं असुविधा शुल्क के रूप में **एक दिन के विपत्र की राशि का 10% अलग से कटौती** की जाएगी। उदाहरणस्वरूप :– अगर एक जलपान एवं एक भोजन की आपूर्त्ति नहीं की गई हो तो 25X2=50% की कटौती एक दिन के विपत्र से भोजनादि मद में से की जाएगी एवं असुविधा शुल्क के रूप में अलग से **10%** की राशि की कटौती की जाएगी अर्थात् एक दिन के विपत्र में से कुल **60%** की राशि की कटौती की जाएगी।

(a) जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा कटौती की जानेवाली राशि के समतुल्य राशि से अनापूरित पाली के भोजन का ससमय वैकल्पिक व्यवस्था प्रधानाध्यापक के माध्यम से करवाई जाएगी।

(b) जितने दिन निर्धारित मेनू का अनुपालन नहीं किया जाना प्रतिवेदित है उक्त तिथि के विपत्र की राशि से 25% राशि की कटौती की जाएगी।

(c) आवासीय विद्यालय के दैनिक कैलेण्डर में भोजन तथा जलपान के लिए **निर्धारित समय से 30 मिनट से ज्यादा विलंब होने पर, विलंब की तिथि के लिए भुगतेय राशि में से 5% राशि** की कटौती की जाएगी।

(d) **उपरोक्त के आलोक में कटौती प्रावधान व्यवस्था प्रारम्भ होने के प्रथम तीन माह लागू नहीं होगे। 3–6 माह तक कटौती प्रावधान के आधे दर पर कटौती होगी तथा 6 माह के बाद उपरोक्त कटौती प्रावधान पूर्णतः लागू हो जायेंगे।**

(v) जिला कल्याण पदाधिकारी उपरोक्त कटौतियों (यदि लागू हो) के पूर्व सत्यापन प्रपत्र में अंकित विचलनों का अपने स्तर से परीक्षण विद्यालय में संधारित साक्ष्यों, फोटोग्राफ आदि के आधार पर सुनिश्चित करने के उपरांत विपत्र अनुमोदित/पारित

करेंगे। भुगतान/स्वीकृति हेतु विपत्र की एकरूपता के लिए विहित प्रपत्र **अनुलग्नक–4** के रूप में संलग्न है।

(vi) जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह की **1ली तिथि से 10वीं** तिथि तक मेस संचालन की राशि का समायोजन एवं भुगतान निम्नवत् किया जाएगा :–

(a) जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा मेस संचालन हेतु 1 माह के व्यय की समतुल्य राशि की अग्रिम निकासी AC विपत्र से कर जीविका के चिन्हित बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाएगी।

(b) मेस संचालन के उपरांत उस माह का विपत्र उपरोक्त कंडिका–2.2 में वर्णित विधि के अनुरुप जिला कल्याण कार्यालय में जीविका द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा एवं जिला कल्याण कार्यालय द्वारा अनुमोदनोपरांत Fully Vouched Bill के आधार पर विपत्र समर्पित किए जाने पश्चात् 7 (सात) दिनों के अन्दर बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के चिन्हित बैंक खाता में भुगतान की जाएगी।

(c) जीविका द्वारा मेस संचालन के प्रथम चार माह का अभिश्रव Fully Vouched Bill के रूप में कोषागार से निकासी कर जीविका के चिन्हित बैंक खाते में माहवार संधारित किया जाएगा। पाँचवे माह के अभिश्रव का समायोजन पूर्व में दिये गये अग्रिम के डी0सी0 विपत्र के रूप में समायोजित किया जाएगा। इस प्रकार यह पाँच माह का चक्र होगा जिसमें प्रथम चार माह का अभिश्रव Fully Vouched Bill के माध्यम से माहवार निकासी की जाएगी एवं पाँचवें माह का अभिश्रव D.C. Bill के रूप में समायोजित कर लिया जाएगा। पाँचवें महीने के अंत में पुनः एक माह के व्यय के समतुल्य राशि की निकासी A.C. Bill पर करते हुए जीविका को उपलब्ध करा दिया जाएगा। जिससे वह छठे माह के व्यय को भारित कर सकेगी। यह 5 (पाँच) माह का चक्र क्रमवार चलता रहेगा।

उदाहरण :– अगर जीविका द्वारा मेस के कार्य को माह अगस्त में प्रारंभ किया जाना है, तो उसके ठीक पिछले माह अर्थात् माह जुलाई में A.C. Bill के माध्यम से एक माह के व्यय के समतुल्य राशि की अग्रिम निकासी कर जीविका को उपलब्ध कराया जायेगा। जीविका द्वारा प्रथम चार महीने अर्थात् अगस्त,सितम्बर, अक्टूबर एवं नवंबर माह में व्यय की गई राशि का माहवार समर्पित अभिश्रव की निकासी कोषागार से Fully Vouched Bill पर जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं जीविका के खाते में माहवार संधारित किया जायेगा। पाँचवें महीने अर्थात् दिसम्बर के व्यय से संबंधित अभिश्रव को डी0सी0 विपत्र के माध्यम से छठे माह (जनवरी) के प्रथम सप्ताह में जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा समायोजित किया जायेगा। पाँचवें महीने (दिसंबर) के अंत में पुनः एक माह के व्यय के समतुल्य राशि की निकासी ए0सी0 विपत्र पर करते हुए जीविका को उपलब्ध करा दिया जायेगा। जिससे कि वह छठे (जनवरी) माह के व्यय को भारित कर सकेगी।

(vii) जिला कल्याण पदाधिकारी मेस संचालन के लिए जीविका को भुगतान किए गए विपत्रों से संबंधित अभिलेखों का संधारण विहित प्रपत्र के अनुसार अलग पंजी में करेंगे।

(अनुलग्नक–5)

2.3. **अनुश्रवण की व्यवस्था**

(i) उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन निम्नवत् किया जाएगाः–

क्र0 सं0	पदनाम	पद
1	उप विकास आयुक्त	अध्यक्ष
2	जिला कल्याण पदाधिकारी	सदस्य सचिव
3	जिला परियोजना प्रबंधक (जीविका)	सदस्य
4	विद्यालय प्रबंधक	सदस्य
5	प्रधानाध्यापक	सदस्य

जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की प्रत्येक तीन माह पर न्यूनतम एक बैठक करना अनिवार्य होगी। निर्धारित मानक के अनुसार मेस संचालन का अनुश्रवण एवं निरीक्षण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिला कल्याण पदाधिकारी प्रत्येक माह में संबंधितों के साथ समन्वय(Co-ordination) की बैठक करेंगे।

(ii) यथासंभव, विभाग के नामित पदाधिकारी एवं जीविका की संयुक्त टीम द्वारा मेस संचालन का प्रत्येक माह के **11वीं से 20वीं तिथि** तक स्थलीय जाँच/निरीक्षण किया जाएगा। स्थलीय जाँच/निरीक्षण में भोजनादि की आपूर्ति, आपूर्ति का समय, मेनू के अनुपालन आदि मापदंडों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, एवं छात्र/छात्राओं से इस संबंध में फीडबैक लिया जाएगा। निरीक्षण के दौरान निरीक्षण–माह के विपत्र भुगतान का भी सत्यापन किया जाएगा, एवं राशि के भुगतान तथा विद्यालय स्तर पर संधारित अभिलेखों, साक्ष्यों का परीक्षण अनिवार्य रुप से किया जाएगा। भुगतान दावों पर की गई कटौती पर निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार के स्तर पर जीविका द्वारा समर्पित आपत्ति, जिन विद्यालयों से संबंधित है, वहां संयुक्त टीम द्वारा अनिवार्य रुप से आपत्तियों के आलोक में इसी अवधि में जांच की जाएगी एवं प्रतिवेदन से विभाग को समर्पित किया जाएगा।

(iii) संयुक्त जाँच दल द्वारा स्थलीय जाँच/निरीक्षण के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि/कमी पाये जाने पर आवश्यकतानुसार कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। जिला कल्याण पदाधिकारी उक्त अनुशंसा के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।

(iv) यथासंभव, निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संयुक्त रूप से जिला कल्याण पदाधिकारी तथा जिला परियोजना प्रबंधक(जीविका) के साथ प्रत्येक माह के **21वीं से 30वीं तिथि** की अवधि में से किसी एक तिथि को उपरोक्त सेवा की समीक्षा की जाएगी।

(v) बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा उपरोक्त सेवाओं के लिए यथाशीध्र वास्तविक समय में निगरानी प्रक्रिया (Real Time Monitoring System) विकसित की जाएगी।

(vii) **आवासीय विद्यालयों में आवासीत छात्र/छात्राओं के द्वारा किए गए असुविधा/टूट–फुट या नुकसान का आकलंन निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग एवं जीविका द्वारा निर्धारित संयुक्त टीम के माध्यम से कराया जाएगा। आंकलन विरूद्ध किए गए नुकसान की समुचित भरपाई संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।**

(viii) जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा उपरोक्त सेवा के विरूद्ध व्यय की गई राशि का व्यय विवरणी विभाग को समर्पित किया जायेगा।

3. प्रथमतः अनुबंध तीन वर्षों के लिए किया जायेगा।

4. *बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति के द्वारा उपरोक्त सेवा के लिए प्रत्येक जिला में अलग बैंक खाता संधारित किया जाएगा एवं जिला कल्याण पदाधिकारी से संबंधित सेवा के विरूद्ध अग्रिम राशि एवं भुगतेय राशि सुसंगत बैक खाता में हस्तांतरित करने का अनुरोध किया जाएगा।*

5. **अन्यः–**

(क) समय–समय पर विभाग द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका में परिवर्त्तन किया जा सकता है तथा कार्यान्वयन के क्रम में नये निदेश/अनुदेश निर्गत किये जा सकते है।

(ख) समझौता ज्ञापन (M.o.U) एवं मार्गदर्शिका से संबधित कोई कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे या विसंगति कंडिका–2.3(iv) के अधीन समाधान कर ली जाएगी।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन समिति
बिहार, पटना।

निदेशक,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–4/निदे0 आ0वि (जीविका)–06–05/2021– 6217 **पटना, दिनांक**– 21/12/2023

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक।

ज्ञापांक–4/निदे0 आ0वि (जीविका)–06–05/2021–6217 **पटना, दिनांक**–21/12/2023

प्रतिलिपि– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/प्रबंध निदेशक, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति(जीविका),पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उपविकास आयुक्त, बिहार/सभी प्रमण्डलीय उपनिदेशक कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी /सभी प्राचार्य/प्रधानाध्यापक आवासीय विद्यालय/सभी जिला परियोजना प्रबंधक(जीविका) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक।

ज्ञापांक–4 / निदे0 आ0वि (जीविका)–06–05 / 2021– 6217 **पटना, दिनांक**– 21/12/2023

प्रतिलिपि– सभी विभागीय पदाधिकारी / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 3डी0, 4डी0, 7डी0. तथा 8डी0 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0 टी0 मैनेजर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईठ पर अपलोड करने एवं उक्त सभी को ई0–मेल के माध्यम से सूचित करने के निदेश के साथ प्रेषित।

निदेशक।

अनुलग्नक–1

दैनिक छात्रोपस्थिति हेतु प्रपत्र

आवासीय विद्यालय का नाम–

Refrence No:- Date:-

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा मेस संचालन करने वाले सामुदायिक संगठन (दीदी की रसोई) का नाम–

क्र0 सं0	दिनांक	कुल सं0			कितने बार भोजन/ जलपान की आपूर्ति की गई	मेनू के अनुसार भोजन/ जलपान दिया गया अथवा नहीं	भोजन/ जलपान निर्धारित समय पर आपूर्ति किया गया अथवा नहीं	विद्यालय के छात्रावास अधिक्षक का हस्ताक्षर	प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर	विद्यालय प्रबंधक के भ्रमण के दिनों का हस्ताक्षर
		सुबह	शाम	औसत उपस्थिति						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										

अनुलग्नक– 2
भुगतान विपत्र

Refrence No:-   Date:-

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर +2 आवासीय उच्च विद्यालय,..........................

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन दीदी की रसोई द्वारा संचालित मेस के विपत्र भुगतान हेतु

1. विद्यालय का नाम–
2. जिला का नाम–
3. प्रखण्ड का नाम–
4. मेस संचालन के लिए नामित सामुदायिक संगठन (दीदी की रसोई) का नामः–
5. माह–   वर्ष–   में कुल छात्र/छात्राओं की संख्या :–

{जिन्हें भोजन (जलपान सहित) उपलब्ध कराया गया है}

क्र0 सं0	दिनांक	सामुदायिक संगठन (दीदी की रसोई का नाम)	कितने बार भोजन (जलपान सहित) उपलब्ध कराया गया	मेनू के अनुसार अथवा नहीं (हां/नहीं)	छात्र/छात्राओं की कुल संख्या	प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन निर्धारित दर (रूपया)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
						Grand Total	

(अभिप्रमाणित करनेवाले कर्मियों/पदाधिकारियों का हस्ताक्षर (नाम एवं मुहर सहित)

सामुदायिक संगठन
(दीदी की रसोई) के
अध्यक्ष/सचिव

जिला परियोजना प्रबंधक
(जीविका)

अनुलग्नक– 3

<u>विपत्र भुगतान के लिए सत्यापन प्रपत्र</u>

Refrence No:- Date:-

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर +2 आवासीय उच्च विद्यालय,..........................

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन दीदी की रसोई द्वारा संचालित मेस के विपत्र भुगतान हेतु

1. विद्यालय का नाम–
2. जिला का नाम–
3. प्रखण्ड का नाम–
4. **मेस संचालन के लिए नामित सामुदायिक संगठन (दीदी की रसोई) का नामः–**
5. माह– वर्ष– **में कुल विद्यार्थियों की संख्या :–**

{जिन्हें भोजन (जलपान सहित) उपलब्ध कराया गया है}

क्र0 सं0	दिनांक	सामुदायिक संगठन (दीदी की रसोई का नाम)	उपस्थिति			कितने बार भोजन (जलपान सहित) उपलब्ध कराया गया	मेनू के अनुसार (हॉ/ना)	निर्धारित समय पर भोजन (जलपान सहित) की आपूर्ति (हॉ/ना)	मेनू एवं समय से भोजन उपलबध नहीं कराने के लिए कटौती	कुल भुगतान की राशि
			As per Bill (Ann-2)		As per (Ann-1)					
			सुबह	शाम	उपस्थिति					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(अभिप्रमाणित करनेवाले कर्मियों/पदाधिकारियों का हस्ताक्षर (नाम एवं मुहर सहित)

प्रमाणित किया जाता है कि आवासीय विद्यालय में उपस्थिति एवं मेस संचालन के लिए संधारित पंजी से मिलान किया गया एवं उपरोक्त के आधार पर अनुशंसा की जाती है।

प्रधानाध्यापक

विद्यालय प्रबंधक

अनुलग्नक–4

स्वीकृत्यादेश

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में भोजन (जलपान सहित) की व्यवस्था हेतु संकल्प संख्या–4687 दिनांक–13.09.2023 के आलोक में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के साथ विभाग द्वारा समझौता ज्ञापन (M.o.U) किया गया है, जिसके आलोक में डॉ0 भीमराव अम्बेडकर +2 आवासीय विद्यालय................, के आवासीत छात्र/छात्राओं को भोजन (जलपान सहित) उपलब्ध कराने के पश्चात् जिला परियोजना प्रबंधक (जीविका) ने Refrence No:-
Date:- द्वारा समर्पित किया गया है, जिसका सत्यापन प्राचार्य एवं विद्यालय प्रबंधक से कराया गया है।

2. निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के आवंटनादेश संख्या–——————— दिनांक———————————— द्वारा सामग्री एवं पूर्तियां मद में आवंटन प्राप्त है। उक्त आवंटनादेश के विपत्र कोडः– 44–222501277003(21.01) के आवंटन से निम्न प्रकार राशि की निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र0 सं0	विद्यालय का नाम	सामुदायिक संगठन का नाम	विपत्र सं0/ तिथि	अभिश्रव की राशि	जी0एस0टी0 @ 2%	आयकर @ 2%	कुल कटौती	शुद्ध भुगतेय राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		कुल योग–							

3. मेस संचालन के लिए अधिकृत सामुदायिक संगठन को भुगतान हेतु विपत्र की कुल राशि मो0–.........................मात्र बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के खाता सं0........... एवं IFSC Code ————————— में भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिला कल्याण पदाधिकारी

ज्ञापांक–.......................... दिनांक–

प्रतिलिपि– राज्य परियोजना प्रबंधक, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका)/......... .... दीदी की रसोई, ... को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला कल्याण पदाधिकारी

ज्ञापांक–.......................... दिनांक–

प्रतिलिपि–वरीय कोषांगार पदाधिकारी.................. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

जिला कल्याण पदाधिकारी

ज्ञापांक–.......................... दिनांक–

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला कल्याण पदाधिकारी

अनुलग्नक–5

जिला में अभिलेख संधारण पंजी

क्रम संख्या	जीविका के दीदी की रसोई द्वारा मेस के विपत्र भुगतान का **Ref. No- Date:-**	जिला कल्याण कार्यालय में विपत्र प्राप्ति की तिथि	विपत्र सत्यापन की तिथि	कोषागार से विपत्र समर्पित करने की तिथि	कोषागार से विपत्र पारित करने की तिथि	विपत्र की राशि	**UTR No.**